UPBS010028452026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, बस्ती।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या -393/2026

श्याम लाल बनाम सरकार।

13.07.2026

पेश हुआ। अन्तरण प्रार्थनापत्र पर सुना जा चुका है। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है।

प्रार्थी श्यामलाल की ओर से इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि मुकदमा नं० 207/2021]एनसीआर नं० 49/2020] मुकदमा अ०सं० 138/2020 अंतर्गत धारा 323,325,504 भा०दं०सं० अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बस्ती में विचाराधीन है। उसका क्रास केस सरकार बनाम राम केवल आदि] एनसीआर सं० 50/2020, अपराधिक वाद स० 37/2022 धारा 323,504 भा.दं.सं. ग्राम न्यायालय रुधौली में लंबित है। दोनो मुकदमें का निस्तारण एक ही साथ होना आवश्यक है। अतः दोनों वाद सुनवाई हेतु एक न्यायालय में अन्तरित कर दिया जाए।

दोनों मूल पत्रावली तलब कर उनका अवलोकन किया गया। एऩसीआर सं० 49/2020 वादी मुकदमा रामकेवल द्वारा दिनांक- 31.05.2026 समय 7.00 बजे की घटना कहते हुए रामबहादुर, रामलाल, श्यामलाल तथा श्रीमती लक्ष्मी के विरुद्ध दर्ज कराया गया था तथा उसका घटना स्थल विवेचक द्वारा नक्शा नजरी में **बी** स्थान पर दिखाया गया है, जो मकान वादी के पूर्व दक्षिण कोन पर स्पष्ट की गई है। तथा **ए** स्थान से जो मकान अभियुक्तगण के पास चलकर घटना कारित किया जाना बताया गया है। जबकि एनसीआर सं० 50/2020 वादी मुकदमा श्यामलाल द्वारा रामकेवल ,संतकुमार, मोहित तथा सूर्यमती के विरुद्ध दिनांक- 31.05.2020 की समय 9.00 बजे की घटना बताते हुए दर्ज कराया गया है। घटनास्थल विवेचक द्वारा वादी मुकदमा अर्थात श्यामलाल के मकान के पश्चित तथा विपक्षी रामकेवल के मकान के पूर्व में दर्शाया गया है। इस प्रकार घटना का समय तथा घटना स्थल दोनों अलग अलग प्रतीत होते है। इसके अतिरिक्त लिखित एनसीआर के पैरा सं० 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि "आवेदक की बहन लक्ष्मी और तारा देवी के मध्य गली से आने जाने को लेकर कुछ कहा सुनी हो रही थी। उसी कहासुनी की बात को लेकर अभियुक्तगण " से स्पष्ट है, इस घटना से पूर्व एनसीआर सं० 49/2020 की घटना हो चुकी थी। इस प्रकार दोनों पत्रावली में घटना एक दूसरे के क्रास केस प्रतीत नहीं होते हैं। इस कारण दोनों पत्रावलियों को एकजाई करने का आधार पर्याप्त नहीं है, तद्नुसार अंतरण प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार आवेदक/प्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

दोनों मूल पत्रावलियों संबंधित न्यायालय को नियमानुसार वापस की जाय।

दिनांक 13.07.2026

(शमसुल हक)
सत्र न्यायाधीश,
बस्ती।

SHAMSUL HAQUE
SESSIONS JUDGE
BASTI

Digitally signed by SHAMSUL HAQUE
Date: 2026.07.13 14:30:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court